न्यायालय :— अपर सेशन न्यायाधीश, **सं0—2 नोहर**, जिला—हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	—:	**रामकन्या सोनी,** R.J.S.(DJ Cadre)
सेशन प्रकरण CIS संख्या	—:	**40 / 2023**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	—:	16 / 2023
पुलिस थाना	—:	खुईयां (हनुमानगढ़)

राजस्थान राज्य

——अभियोगी

बनाम

01. मंजु पत्नी पालाराम निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

02. कृष्ण कुमार पुत्र आदराम निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अभियुक्तगण

CNR No. RJHG070008012023

अपराध अंतर्गत धारा **306 सपठित धारा 34** भा0दं0सं0

उपस्थिति :—

01. श्री दिनेश भाटी, अपर लोक अभियोजक — राज्य की ओर से।

02. श्री सितेन्द्र मलिक व श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता — अभियुक्त मंजु की ओर से।

03. श्री छोटूराम सहू, अधिवक्ता — अभियुक्त कृष्ण कुमार की ओर से।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 02—06—2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य प्रकार हैं कि दिनांक 16—02—2023 को परिवादी मनसाराम ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना खुईयां के समक्ष इस आशय की पेश की कि उसके भाई पालाराम ने दिनांक 11—02—2023 को कीटनाशक (स्प्रे) का सेवन कर लिया और हेमराज को आवाज देकर बताया कि वह कृष्ण कुमार व अपनी पत्नी मंजु के अवैध संबंधों के चलते आत्महत्या कर रहा है, यही बात उसने अन्य परिवार के सदस्यों को भी बताई। परिवार के लोग उसे गाड़ी में डालकर

अस्पताल ले गए, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, आदि तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण मंजु व कृष्ण कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 306, 34 भा0दं0सं0 में पेश किया गया। जहां से प्रकरण कमिट होकर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं0—1 नोहर को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् श्रीमान् जिला एवम् सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ के आदेशानुसार उक्त प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 की प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध होने से उन्हें उपर्युक्तानुसार वर्णित अपराधों का आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो उन्होंने सुन समझकर आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों को पेश कर परीक्षित करवाया —:

क्र. सं.	गवाह सं0	गवाह का नाम	क्र. सं.	गवाह सं0	गवाह का नाम
01.	**PW-1**	मनसाराम	08.	**PW-8**	इमरती
02.	**PW-2**	हेमराज	09.	**PW-9**	दीवान सिंह
03.	**PW-3**	राजेन्द्र	10.	**PW-10**	सुनील कुमार
04.	**PW-4**	अभिषेक	11.	**PW-11**	रमेश सिंह
05.	**PW-5**	सुमित	12.	**PW-12**	कांता
06.	**PW-6**	मोनिका	13.	**PW-13**	मोहनलाल
07.	**PW-7**	सदाम हुसैन	14.	**PW-14**	अमर सिंह

04. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया —:

क्र.सं.	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज का नाम
01.	**ExP-1**	लिखित रिपोर्ट
02.	**ExP-2**	प्रथम सूचना रिपोर्ट
03.	**ExP-3**	नक्शा मौका
04.	**ExP-3a**	हालात मौका
05.	**ExP-4**	पुलिस बयान अभिषेक
06.	**ExP-5**	पुलिस बयान सुमित
07.	**ExP-6**	पुलिस बयान मोनिका
08.	**ExP-7a**	इण्डोर फाईल
09.	**ExP-8**	पालाराम के इलाज संबंधी दस्तावेज हेतु पत्र
10.	**ExP-8**	पुलिस बयान इमरती
11.	**ExP-9**	फर्द जब्ती प्लास्टिक की डिब्बी
12.	**ExP-10**	अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु पत्र
13.	**ExP-11**	अग्रेषण पत्र
14.	**ExP-12**	प्राप्ति रसीद
15.	**ExP-13**	मालखाना रजिस्टर
16.	**ExP-14, 15, 22, 23, 24**	रोजनामचा आम
17.	**ExP-16**	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मंजु
18.	**ExP-17**	फर्द इत्तिला अभियुक्त मंजु
19.	**ExP-18**	फर्द बरामदगी मोबाईल
20.	**ExP-19**	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
21.	**ExP-19a**	हालात मौका
22.	**ExP-20**	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कृष्ण कुमार
23.	**ExP-21**	सूचना गिरफ्तारी
24.	**ExP-25, 29**	प्रमाण पत्र धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम
25.	**ExP-26**	प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने हेतु पत्र
26.	**ExP-27, 28**	प्राप्ति रसीद
27.	**ExP-30**	फर्द विश्लेषण मोबाईल कृष्ण कुमार
28.	**ExP-32, 33**	फर्द विश्लेषण मोबाईल मंजु
29.	**ExP-34, 37**	प्रमाण पत्र धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम
30.	**ExP-35, 38**	एप्लीकेशन फार्म

31.	ExP-36	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
32.	ExP-39	कॉल डिटेल
33.	ExP-40, 40a	चिट दस्तखती

05. अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश की गई साक्ष्य के स्पष्टीकरण के तौर पर अभियुक्तगण को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना अभिकथित कर साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पुलिस बयान फर्द विश्लेषण मोबाईल मृतक पालाराम प्रदर्श डी–1 को प्रदर्शित करवाया।

06. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है –:

> **''आया अभियुक्तगण मंजु व कृष्ण कुमार के दिनांक 16–02–2023 से पूर्व अवैध संबंध रहे एवम् मृतक पालाराम द्वारा अपनी पत्नी मंजु को समझाया गया, किन्तु उक्त अभियुक्तगण ने अपने अवैध संबंध स्थापित रखे और मृतक पालाराम के साथ लड़ाई–झगड़ा कर सामान्य आशय के अनुसरण में पालाराम को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप पालाराम ने स्प्रे (कीटनाशक) पीकर आत्महत्या कर ली ?''**

07. दौराने बहस अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि न्यायालय के सामने आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर विधि विहित दण्ड से दण्डित किया जाए।

08. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का मुख्य रूप से यह तर्क रहा कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 दिनांक 16–02–2023 को परिवादी मंशाराम, जो कि मृतक पालाराम का भाई है,

उसके द्वारा पुलिस थाना खुईयां में दर्ज करवाई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतक पालाराम पुत्र भैराराम के द्वारा दिनांक 11–02–2023 को कीटनाशक का सेवन किया गया, जिसकी वजह से उसकी दौराने इलाज अस्पताल में दिनांक 13–02–2023 को मृत्यु हुई, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16–02–2023 को करीब 4–5 दिवस के विलम्ब के पश्चात् दर्ज करवाई गई है। विलम्ब का कोई भी न्यायोचित स्पष्टीकरण परिवादी के द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट या बयानों में आलेखित नहीं करवाया गया है। स्वयं परिवादी के द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306 भा0दं0सं0 का अभियोग है, जिसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अभियुक्तगण मंजु व कृष्ण कुमार के मध्य हुई वार्ता की कोई भी कॉल डिटेल एकत्रित कर न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य आलेखित है कि अभियुक्त कृष्ण कुमार की पत्नी के द्वारा दिनांक 10–02–2023 को पालाराम को फोन कर कहा गया था कि वह अपनी पत्नी को समझा ले, लेकिन कृष्ण कुमार पालाराम की पत्नी मंजु के पास गया हुआ था, किन्तु अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान कृष्ण कुमार की पत्नी कमला देवी के बयान लेखबद्ध नहीं किए, ना ही कमला देवी को बतौर अभियोजन साक्षी न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है। प्रदर्श पी–1 प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक पालाराम और उसकी पत्नी मंजु के मध्य कृष्ण कुमार के साथ अवैध संबंधों को लेकर लम्बे समय से विवाद होना आलेखित किया गया है तथा उस विवाद को लेकर पालाराम की मृत्यु के करीब 3–4 साल पहले पंचायती होना भी अभिलिखित है, किन्तु इस पंचायती के संबंध में कोई भी गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियोजन पक्ष के द्वारा बतौर मौखिक साक्षी पी0ड0 1 लगायत पी0ड0 14 गवाह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है, उन सभी गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। गवाह पी0ड0 4 अभिषेक, पी0ड0 5 सुमित, पी0ड0 6 मोनिका व पी0ड0 8 इमरती, चारों

ही पूर्णतया पक्षद्रोही रहे हैं, जो कि पालाराम के रिश्तेदार हैं। गवाह पी0ड0 1 मंशाराम, जो कि परिवादी है, इस गवाह के द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्टतया स्वीकार किया गया है कि पालाराम का दाह–संस्कार दिनांक 13–02–2023 को ही कर दिया गया था तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके भाई पालाराम का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि मंजु व कृष्ण कुमार के अवैध संबंधों का 19 सालों से पता था, उन्होंने 19 साल तक मंजु व कृष्ण कुमार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उसने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार गांव निमला में ही रहता है। प्राइवेट अस्पताल में मृतक पालाराम का इलाज चलने का अभिकथन गवाह मंशाराम के द्वारा किया गया है, किन्तु इस तरह का कोई रिकॉर्ड, जो यह साबित करे कि मृतक पालाराम की मृत्यु का कारण अभियुक्तगण रहे हों, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इसके अलावा अन्य गवाहान पी0ड0 2 हेमराज व पी0ड0 3 राजेन्द्र तथा पी0ड0 8 इमरती के बयानों में भी गम्भीर विरोधाभास है। सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदेह के घेरे में इस कारण से भी आ जाती है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप परिवादी व उसके परिवार के द्वारा लगाए गए हैं, किन्तु मृतक पालाराम का कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मृतक पालाराम की मृत्यु का कारण पत्रावली पर साबित नहीं है तथा जिस स्प्रे या कीटनाशक का सेवन पालाराम के द्वारा किया गया है, वह स्प्रे की बोतल भी अनुसंधान अधिकारी के द्वारा दौराने अनुसंधान जब्त नहीं की गई है, इस कारण से यह तथ्य भी साबित नहीं है कि मृतक पालाराम के द्वारा किस कीटनाशक या स्प्रे का सेवन करके आत्महत्या की गई। सभी गवाह अभियुक्त मंजु व कृष्ण कुमार के अवैध संबंधों का 19 साल से पता होने का तथ्य स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा मंशाराम व अन्य गवाह स्पष्टतया स्वीकार कर रहे हैं कि पालाराम कुछ समय पहले मंजु देवी को पीहर से मनाकर लाया था, जिससे यह साबित है कि मंजु देवी गलत नहीं थी, इसी कारण मृतक

पालाराम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मंजु को पीहर से मनाकर लाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाए जाने के समय के संबंध में भी गवाहान के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज संबंधी दस्तावेजात् में भी कहीं यह तथ्य अंकित नहीं है कि मृतक पालाराम की मृत्यु/आत्महत्या करने का कारण अभियुक्तगण रहे हों। इलाज संबंधी दस्तावेजों व डॉक्टर के बयानों के अनुसार मृतक पालाराम की गम्भीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर के द्वारा मृतक पालाराम को इलाज के दौरान हायर सेंटर में ले जाने की सलाह दी गई थी, किन्तु मृतक पालाराम के परिजन उसे इलाज हेतु हायर सेंटर नहीं लेकर गए, जिसके कारण भी मृतक पालाराम की मृत्यु होना प्रकट है। यदि मृतक पालाराम के परिजन उसे इलाज हेतु हायर सेंटर लेकर जाते तो हो सकता था कि वह बच जाता। प्रस्तुत प्रकरण में एकत्र की गई दोनों ही कॉल डिटेल अभियुक्त मंजु के नाम से नहीं है, ना ही उसके नाम से मोबाइल है एवम् ना ही सिम है। बरामदशुदा मोबाइल व सिम सिके नाम से हैं, इसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। पक्षकारान में हुए राजीनामा के प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा शामिल पत्रावली किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कारणों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

09. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

10. विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 मनसाराम, स्वयं परिवादी है, उसने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किया कि मृतक पालाराम उसका सगा भाई था। उन तीनों भाईयों के मकान निमला गांव में खेत में पास–पास ही बने हुए हैं। उसकी भाभी/पालाराम की पत्नी मंजु के कृष्ण कुमार के साथ अवैध संबंध थे, जिस बाबत् पंचायत हुई थी।

दिनांक 08–02–2023 को उसका भाई पालाराम उसके मामा के लड़के की शादी में गया हुआ था। उसके भाई पालाराम को कृष्ण की पत्नी कमला देवी ने फोन किया और कहा कि तेरी पत्नी मंजु के पास उसका पति कृष्ण कुमार है। उसका पति कृष्ण कुमार उसके कहने में नहीं है। दिनांक 11–02–2023 को सुबह करीब आठ बजे कृष्ण कुमार की पत्नी कमला ने पालाराम को फोन किया कि मंजु को समझाओ, उसका पति तो उसके बस का नहीं है। फिर मंजु व पालाराम का इस बात को लेकर झगड़ा हो गया। बाद में पालाराम ने कहा कि कृष्ण व मंजु की बात को लेकर उसे करना पड़ेगा। उसके बाद जब वह खेत में पानी लगा रहा था तब उसके साले ने उसे फोन किया कि पालाराम ने स्प्रे पी ली है। उनके घर पहुंचने से पूर्व पालाराम को नोहर अस्पताल ले गए थे। उसे घरवालों ने बताया कि पालाराम ने मंजु व कृष्ण के गलत संबंधों को लेकर स्प्रे पी ली थी। दिनांक 13–02–2023 को पालाराम की दौराने इलाज मृत्यु हो गई। उसने प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–1 दिया, जिसके आधार पर एफआईआर प्रदर्श पी–2 दर्ज की गई। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाया।

11. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पालाराम का दाह संस्कार दिनांक 13–02–2023 को ही कर दिया, उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाया। उसने अपने भाई के स्प्रे पीने संबंधी कोई भी सूचना मौके पर खुईयां थाने में नहीं लिखवाई। वह पंचायती उपस्थित लोगों, पंचायत की दिनांक, महीना व साल नहीं बता सकता है। उसने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल पर कोई जहर की बोतल नहीं देखी ना ही पत्रावली में जहर की बोतल पुलिस द्वारा ले जाने संबंधी कोई दस्तावेज है। मंजु व कृष्ण के अवैध संबंधों का उन्हें 19 साल से पता था। उसकी भाभी मंजु अपने घर में सात दिन अंतिम रस्म अदायगी तक अपने घर में बैठक में रही थी। उन्होंने अस्पताल में यह नहीं बताया कि पालाराम ने गलती से स्प्रे पीया है। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों को यह बताया था कि पालाराम ने स्प्रे कृष्ण व मंजु की वजह से पी है। डॉक्टर

ने यह बात अपने अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज करके राजेन्द्र के हस्ताक्षर करवाए थे। उसने इस सुझाव को गलत बताया कि पालाराम की मृत्यु के बाद उसने अपनी साली मंजु के साथ बलात्कार किया हो, इस संबंध में उसके विरूद्ध पुलिस थाना खुईयां में बलात्कार संबंधी मंजु द्वारा मुकदमा दर्ज कराया है, जो दबाव बनाने के लिए कराया है। उसने इस सुझाव को सही बताया कि उसकी भाभी जेल में थी, उस समय उसका वकालतनामा हस्ताक्षर करवाकर वह लेकर आया था और उसकी भाभी की तरफ से उसने ही वकील नियुक्त किया था।

12. गवाह पी0ड0 2 हेमराज व पी0ड0 3 राजेन्द्र, जो कि गवाह पी0ड0 1 मनसाराम/मृतक पालाराम के भाई हैं, उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों व प्रतिपरीक्षा में गवाह पी0ड0 1 मनसाराम के द्वारा बताए गए कथनों के अनुसार ही कथन किए हैं।

13. गवाह पी0ड0 4 अभिषेक ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किया कि उसे ध्यान नहीं कि दिनांक 11—02—2023 को सुबह 11 बजे उसके ताऊ पालाराम के पास उनके गांव के कृष्ण की पत्नी का फोन आया हो और उसने अपने पति कृष्ण के साथ पालाराम की पत्नी के गलत संबंधों के बारे में बताया हो और उसके सामने उसके ताऊ पालाराम ने स्प्रे पी हो। अपर लोक अभियोजक द्वारा **पक्षद्रोही** घोषित करवाए जाने पर की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी—4 का ए से बी भाग, जिसमें घटना से संबंधित तथ्य वर्णित हैं, पुलिस को नहीं लिखाना बताया।

14. गवाह पी0ड0 5 सुमित ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि दिनांक 10—02—2023 व 11—02—2023 को उसके पास उसके भाई कृष्ण की पत्नी नहीं आई व ना ही उससे फोन मंगाकर किसी को फोन किया। अपर लोक अभियोजक द्वारा **पक्षद्रोही** घोषित करवाए जाने पर की गई प्रतिपरीक्षा में उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श

पी–5 का ए से बी हिस्सा, जिसमें घटना से संबंधित तथ्य वर्णित हैं, पुलिस को नहीं लिखाना बताया।

15. गवाह पी0ड0 6 मोनिका ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि उसे ध्यान नहीं कि दिनांक 11–02–2023 को सुबह 11 बजे उसके पिता के पास उसके गांव के कृष्ण की पत्नी का फोन आया हो और उसने अपने पति कृष्ण के साथ उसकी मां के गलत संबंधों के बारे में बताया हो। उसके सामने उसके पिता ने स्प्रे नहीं पी। अपर लोक अभियोजक द्वारा **पक्षद्रोही** घोषित करवाए जाने पर की गई प्रतिपरीक्षा में उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 का ए से बी हिस्सा, जिसमें घटना से संबंधित तथ्य वर्णित हैं, पुलिस को नहीं लिखाना बताया। उसने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके पिता ने कृष्ण की पत्नी का फोन आने पर उन्हें हेण्ड–फ्री करके सुनाया हो।

16. गवाह पी0ड0 7 सद्दाम हुसैन ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किया कि दिनांक 11–02–2023 को वह दहिया जनरल अस्पताल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत था। उस दिन पालाराम को जहर के सेवन से बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी व मरीज का इलाज शुरू किया गया। दिनांक 13–02–2023 को मरीज को अचानक से कार्डियाक अरेस्ट आ गया था, उसके बाद मरीज का तुरंत सीपीआर शुरू किया गया। मृतक की मृत्यु जहर के कॉपलीकेशन कार्डिक अरेस्ट आने से हुई। असल इंडोर फाइल प्रदर्श पी–7 है।

17. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने बताया कि वह कार्डियोलोजिस्ट नहीं है। दिनांक 11–02–2023 को मरीज जब अस्पताल में लाया गया, तब वह बेहोशी की हालत में था। उसने पुलिस को पाइजनिंग संबंधी सूचना उसी वक्त दे दी थी। उसे मरीज के साथ आए किसी भी व्यक्ति ने मरीज के तहर सेवन संबंधी कोई बात नहीं बताई। उसने मरीज के साथ आए परिजनों को बता दिया था कि मरीज

की हालत गम्भीर है, इन्हें हायर सेंटर ले जाओ, लेकिन साथ आए परिजनों ने हायर सेंटर ले जाने से मना कर दिया। पुलिस जब अस्पताल में आई, तब पुलिस ने उपस्थित मृतक के परिजनों के कोई बयान नहीं लिए। उसने इस सुझाव को सही बताया कि हायर सेंटर ले जाने पर मरीज के बचने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

18. गवाह पी0ड0 8 इमरती ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि उसकी पुत्रवधु मंजु के उनके गांव के कृष्ण के साथ कोई अवैध संबंध नहीं थे और ना ही पालाराम ने उसके सामने मंजु व कृष्ण कुमार के अवैध संबंधों के कारण आत्महत्या करने का कहकर स्प्रे पी। अपर लोक अभियोजक द्वारा **पक्षद्रोही** घोषित करवाए जाने पर की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 का ए से बी व सी से डी हिस्सा, जिसमें घटना से संबंधित तथ्य वर्णित हैं, पुलिस को नहीं लिखाना बताया।

19. गवाह पी0ड0 9 दीवान सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में यह कथन किया है कि दिनांक 14–03–2023 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी अमर सिंह ने उसके समक्ष दहिया अस्पताल नोहर से एक प्लास्टिक की डिब्बी को जब्त किया था, फर्द जब्ती प्लास्टिक की डिब्बी प्रदर्श पी–9 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

20. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि उसकी व एसएचओ साहब की रोजनामचा रवानगी व आमद रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है। उक्त डिब्बी उन्हें डॉ0 सद्दाम हुसैन ने खुद सील करके दी थी, लेकिन उनके सामने सील नहीं की। उनके सामने डॉक्टर ने कोई सैम्पल नहीं लिया। प्रदर्श पी–9 पर डॉक्टर की कोई मोहर नहीं है। प्रदर्श पी–9 में मृतक के शरीर से सैम्पल किस स्थान (लोकेशन) पार लिया गया, नहीं लिखा हुआ है।

21. गवाह पी0ड0 10 सुनील कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि दिनांक 27–03–2023 को वह पुलिस थाना खुईयां में एफसी के पद पर तैनात था। उस रोज मालखाना इंचार्ज ने इस प्रकरण का वजह सबूत अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल कार्यालय बीकानेर में जमा करवाने के लिए दिया था। उसने अग्रेषण पत्र जारी करवाकर वजह सबूत एफएसएल में जमा करवाया। अग्रेषण पत्र जारी करवाने के लिए लिखा पत्र प्रदर्श पी–10, अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11, एफएसएल रसीद प्रदर्श पी–12, उसकी रवानगी व आमद प्रदर्श पी–14 व पी–15 हैं।

22. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने इस सुझाव को सही बताया कि अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु लिखे पत्र प्रदर्श पी–10 व मालखाना रजिस्टर में अंकित रवानगी व आमद के नीचे उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

23. गवाह पी0ड0 11 रमेश सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में बताया कि दिनांक 14–04–2023 को वह पुलिस थाना खुईयां में मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। इस प्रकरण का वजह सबूत प्राप्त होने पर उसने मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना किया व सुनील कुमार एफसी के मार्फत एफएसएल कार्यालय बीकानेर में जमा करवाया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–13 है।

24. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि दिनांक 27–03–2023 को किस समय उसने एफएसएल हेतु भेजा, उसका समय का इन्द्राज नहीं है। एफएसएल में वजह सबूत जमा करवाने की रसीद पत्रावली में नहीं है।

25. गवाह पी0ड0 12 कांता तत्कालीन महिला कानिस्टेबल पुलिस थाना खुईयां ने अपने सशपथ कथनों में फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता मंजु प्रदर्श पी–16, फर्द इत्तिला प्रदर्श पी–17, फर्द बरामदगी मोबाईल प्रदर्श पी–18

व नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–19 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

26. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया कि प्रदर्श पी–17 एसएचओ के निर्देशन में रीडर ने तैयार की थी, उस पर जो कटिंग की हुई है, उसव पर लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी–16 ता 19 में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखा गया है। बरामदशुदा फोन की सिम किसके नाम से है, उसकी कोई जांच नहीं की गई।

27. गवाह पी0ड0 13 मोहनलाल तत्कालीन कानिस्टेबल पुलिस थाना खुईयां ने अपने सशपथ कथनों में फर्द जब्ती प्लास्टिक की डिब्बी प्रदर्श पी–9, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–16, फर्द बरामदगी मोबाईल प्रदर्श पी–18 व नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–19 पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

28. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी–16 व पी–17 पर की गई काट–छांट पर लघु हस्ताक्षर नहीं हैं। बरामद मोबाइल में मौजूद सिम किसके नाम से है, के बारे में तफ्तीश नहीं की।

29. गवाह पी0ड0 14 अमर सिंह, जो कि इस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी रहे हैं, ने अपने सशपथ कथनों में कथन किया कि वह दिनांक 16–02–2023 को थानाधिकारी पुलिस थाना खुईयां के पद पर पदस्थापित थ। उस रोज प्रार्थी मंशाराम ने प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–1 पेश किया, जिसके आधार पर एफआईआर प्रदर्श पी–2 दर्ज की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 व हालात मौका प्रदर्श पी–3ए तैयार किया। मृतक पालाराम के इलाज संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–8, पालाराम की इनडोर फाईल प्रदर्श पी–7ए है। फर्द जब्ती प्लास्टिक की डिब्बी प्रदर्श पी–9, अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–10, प्रादर्शों के परीक्षण हेतु लिखा

पत्र प्रदर्श पी–11, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–12, मालखाना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–13 है। दौराने अनुसंधान अभियुक्ता मंजु को जरिए फर्द प्रदर्श पी–16 गिरफ्तार किया गया। फर्द इत्तिला मंजु प्रदर्श पी–17, फर्द बरामदगी मोबाईल प्रदर्श पी–18, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी–19 है। मुल्जिम कृष्ण कुमार को जरिए फर्द प्रदर्श पी–20 गिरफ्तार किया। अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी–21, धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–25 है। बरामशुदा सिम की सीडीआर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। न्यायालय के समक्ष अनसीब्ल्ड किए गए वजह सबूत के मुंह पर लगी चिट प्रदर्श पी–40, अंदर निकली चिट प्रदर्श पी–40ए व थैली के अंदर निकला फोन आर्टिकल–1 है। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया।

30. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी–1 में मृतक के कीटनाशक सेवन करते समय उसके पास कोई नहीं होना लिखा है। उक्त मुकदमा के संबंध में व मृत्यु के पश्चात् अस्पताल द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। प्रदर्श पी–1 के हिस्सा ए से बी के अनुसार उसके द्वारा कमला पत्नी कृष्ण कुमार कापालाराम के पास फोन आने से संबंधित कोई भी कॉल का रिकॉर्ड नहीं लिया गया और ना ही इस बाबत् उसके द्वारा कोई अनुसंधान किया गया। मंजु द्वारा प्रयोग में लिए जा रहे फोन की सिम कृष्ण कुमार के नाम से थी। उसके अनुसंधान में यह बात सामने आई थी कि मृतक पालाराम के घर के मोबाइल नम्बर 8003587937 कैफ आईडी परिवादी मंशाराम के नाम से है और मंजु द्वारा उपायोग में ली जा रही है। उसने इस सुझाव को सही बताया कि घटना दिनांक 11–02–2023 को हुई और मृतक की मृत्यु दिनांक 13–02–2023 को हुई और एफआईआर दिनांक 16–02–2023 को हुई। उसके अनुसंधान में देरी का कोई कारण नहीं आया और ना ही नतीजा चालान में देरी का कारण दर्ज किया गया। मृतक द्वारा किस विष का सेवन किया गया था, इस बाबत् अलग से अनुसंधान नहीं किया। उसने इस सुझाव को

सही बताया कि प्रदर्श पी–9 में वर्णित डिब्बी मृतक की मृत्यु के एक माह बाद डॉक्टर द्वारा दी गई थी। वह नहीं बता सकता कि उक्त डिब्बी में क्या था। प्रदर्श पी–9 में हस्ताक्षर के नीचे डॉक्टर की सील मोहर नहीं है। प्रदर्श पी–36 के अनुसार मृतक की मौज का कारण गैस्टिक लैगेज है। उसने इस सुझाव को सही बताया कि दहिया जनरल हॉस्पीटल से रिपोर्ट लेने जाने व वापसी से संबंधित रवानगी व आमद रोजनामचा रपट पत्रावली में मौजूद नहीं है। उसके द्वारा कमला पत्नी कृष्ण कुमार से सिर्फ पूछताछ की गई थी, साक्ष्य सूची में नहीं रखा गया।

31. उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण की शुरूआत प्रदर्श पी–1 के माध्यम से हुई थी। प्रदर्श पी–1 प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो परिवादी मंशाराम के द्वारा दिनांक 16–02–2023 को इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि दिनांक 11–02–2023 को दोपहर के वक्त उसका भाई पालाराम पुत्र भैराराम के द्वारा कीटनाशक (स्प्रे) का सेवन कर लिया गया और सेवन करके हेमराज पुत्र साहबराम मेघवाल को आवाज लगाई कि ''मैं, कृष्ण कुमार पुत्र आदराम मेघवाल व मंजु पत्नी पालाराम की वजह और उनके अवैध संबंधों के चलते आत्महत्या कर रहा हूं।'' इतने में परिवार के अन्य सदस्य भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पालाराम, कृष्ण कुमार व मंजु के काफी लम्बे समय से चल रहे अवैध संबंधों के कारण परेशान हूं, जिसके चलते उसने कीटनाशक पी लिया है। इतने में ही परिवार के लोग गाड़ी आदि की व्यवस्था कर नोहर लेकर रवाना हो गए। जहां पर निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया और उपचार के चलते दिनांक 13–02–2023 को 10:30 के करीब पालाराम ने दम तोड़ दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे यह तथ्य आया है कि पालाराम दिनांक 08–02–2023 को ननिहाल में अपने मामा के लड़के की शादी में गया था। दिनांक 10–02–2023 को पालाराम के पास कृष्ण कुमार की पत्नी कमला ने फोन करके सूचना दी कि मेरा पति कृष्ण कुमार तेरी पत्नी मंजु के पास था और आप अपनी पत्नी को समझाओ, मेरा पति तो मेरे वश में नहीं है। फिर पालाराम मानसिक परेशानी के चलते दिनांक

10–02–2023 को शाम तक गांव निमला आ गया और दोनों पति–पत्नी में अनबन व लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दिनांक 11–02–2023 को करीब 11:30 बजे कमला पत्नी कृष्ण कुमार का पालाराम के पास फोन आया और फिर वही बात दोहराई कि तेरी पत्नी मंजु का मेरे पति कृष्ण कुमार दो रात से मंजु के साथ अवैध संबंध बना रहा है, आप अपनी पत्नी को काबू करो, क्योंकि मेरा पति मेरे वश में नहीं है। पालाराम ने स्पीकर पर घर बैठे लोगों को सुनाया कि आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, मैं जो कुछ भी मेरी पत्नी के बारे में बताता हूं तो बिना सबूत मेरी बात को नहीं मानते हो, ये सबूत है कि ये कृष्ण की पत्नी कमला फोन पर बता रही है, जो सच है। फिर दोनों पति–पत्नी की घर में हाथापाई हो गई और उस दौरान पालाराम ने मौका पाकर पत्नी मंजु के पास से गुप्त फोन पकड़ लिया और फिर भी पत्नी मंजु ने बात नहीं स्वीकार की तो मानसिक परेशानी की वजह से मौका पाकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। इस प्रकार 3–4 साल पहले भी कृष्ण कुमार व अन्य तीन लोगों के साथ मिलकर इसी वारदात को अंजाम दिया था। फिर आपसी परिवार के चलते घरेलू पंचायत के माध्यम से इस बात को रफादफा कर लिया था, किन्तु बाद में भी कृष्ण कुमार व मंजु के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला जारी रहा और इन्हीं कारणों के चलते मृतक पालाराम के द्वारा आत्महत्या करने संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट मंशाराम के द्वारा पुलिस थाना खुईयां में दर्ज करवाई गई। बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा मंजु व कृष्ण कुमार के विरूद्ध धारा 306 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित किया गया।

32. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान में पी0ड0 1 मंशाराम जो कि स्वयं परिवादी है, मृतक पालाराम का सगा भाई है, इसने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप तथ्य लिखवाए हैं, किन्तु प्रतिपरीक्षण में इसने विरोधाभासी अभिकथन किया है कि दिनांक 13–02–2023 को ही पालाराम की मृत्यु हो गई और उसका दाह–संस्कार कर दिया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक

16–02–2023 को पुलिस थाना खुईयां में दर्ज करवाई गई। मृतक पालाराम का पोस्टमार्टम उनके द्वारा नहीं करवाया गया, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के अनुसार स्वयं मंशाराम एवम् समस्त परिवार के परिजनों को यह तथ्य स्पष्टतया जानकारी में होना अभिलिखित किया गया है कि मृतक पालाराम के द्वारा मंजु व कृष्ण कुमार के अवैध संबंधों के चलते कीटनाशक पीकर आत्महत्या की गई थी, किन्तु इस तरह की वारदात के संबंध में तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई गई, विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का क्या कारण रहा, ऐसा कोई स्पष्टीकरण गवाह मंशाराम के द्वारा अपने बयानों में आलेखित नहीं करवाया गया। इसके अलावा मंशाराम के द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्टतया स्वीकार किया गया है कि मंजु व कृष्ण कुमार के अवैध संबंधों का 19 सालों से पता था, किन्तु इस संबंध में मंजु व कृष्ण कुमार के खिलाफ कोई कार्यवाही पालाराम तथा समस्त परिजनों के द्वारा नहीं की गई। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के समय गलती से स्प्रे पी लिया गया हो, यह तथ्य प्रतिपरीक्षण में गवाह मंशाराम के द्वारा पालाराम के अस्पताल में भर्ती करवाए जाने का समय अंकित करवाया गया है कि मृतक पालाराम के द्वारा अभियुक्त मंजु व कृष्ण के अवैध संबंधों के चलते कीटनाशक (स्प्रे) पीने के कारण आत्महत्या की गई थी, किन्तु अस्पताल का ऐसा कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी के द्वारा संलग्न नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है कि जब अभियुक्ता मंजु जो रिश्तेदारी में उसकी भाभी लगती है, जब वह जेल में थी, तब उसका वकालतनामा वही हस्ताक्षर करवाकर लाया था तथा उसके द्वारा ही उसकी भाभी मंजु की तरफ से वकील नियुक्त किया गया था। इस प्रकार यह एक अविश्वसनीय स्थिति है कि अपनी भाभी, जिसके कारण उसके भाई पालाराम ने आत्महत्या की, उसकी तरफ से वह पैरवी करे और उसका एडवोकेट नियुक्त करे।

33. इसी प्रकार गवाह पी0ड0 2 हेमराज जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य आलेखित किया गया है कि पालाराम ने स्प्रे पीते समय हेमराज जो उसका चचेरा भाई है, उसको आवाज लगाई थी कि मैं अपनी पत्नी मंजु व कृष्ण के अवैध संबंधों के चलते स्प्रे पी रहा हूं, किन्तु प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य के संबंध में गवाह हेमराज के द्वारा स्पष्टतया अभिकथित किया गया है कि वह अपने भाई के साथ अस्पताल में स्प्रे पीने के करीब एक घंटे बाद आया था, तब उसके भाई स्प्रे पीने से बेहोश हो गया था तथा उसके द्वारा डॉक्टर को यह नहीं बताया गया कि उसके भाई ने आत्महत्या करने के लिए स्प्रे पी ली है, तो यह स्वाभाविक स्थिति थी कि यदि पालाराम ने उसको मरते समय बताया था कि मृतक पालाराम स्प्रे क्यों पी रहा है तो अवश्य ही दौराने इलाज डॉक्टर व अस्पताल कर्मियों को बताता कि मृतक पालाराम ने अपनी मंजु व कृष्ण के अवैध संबंधों के चलते स्प्रे पी है। इसी प्रकार स्प्रे की बोतल भी अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जब्त नहीं करवाई गई है। प्रतिपरीक्षण में भी यह सुझाव दिया है कि जिस दिन मृतक पालाराम के द्वारा स्प्रे पीया गया था, उसी दिन उसकी सुबह नौ बजे के करीब बात हुई थी। तब पालाराम राजीखुशी था तथा इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मंजु व मंशाराम की पत्नी दोनों बहिनें हैं, उसके भाई के बारहवें की रस्म तक मंजु घर पर ही थी और उसके द्वारा सारी रस्म अदा की गई थी। इस प्रकार अभियुक्ता मंजु के द्वारा उपर्युक्तानुसार रस्में अदा किया जाना अस्वाभाविक स्थिति है।

34. इसी प्रकार पी0ड0 3 राजेन्द्र के द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्टतया स्वीकार किया गया है कि मंजु तथा कृष्ण कुमार के 4–5 सालों से अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों की जानकारी पालाराम और परिजनों को पहले से थी, किन्तु उनके द्वारा इन दोनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका भाई पालाराम मंजु को पीहर से क्षमा मांगकर लाया था और यह कहकर लाया था कि आइंदा तंग परेशान नहीं करेंगे। इस प्रकार दोनों तथ्य विरोधाभासी हैं कि एक तरफ तो गवाहान यह अभिकथन करते हैं कि

मंजु व कृष्ण के अवैध संबंध थे, दूसरी तरफ यह कथन कर रहे हैं कि पालाराम मंजु को क्षमा मांगकर लेकर आइंदा तंग परेशान नहीं करने की बात को लेकर पीहर से ससुराल लाया था।

35. गवाह पी0ड0 4 अभिषेक मृतक पालाराम का भतीजा है, जो पूर्णतया पक्षद्रोही रहा है। इसी प्रकार घटना के अन्य महत्वपूर्ण गवाहान पी0ड0 5 सुमित, पी0ड0 6 मोनिका व पी0ड0 8 इमरती भी पक्षद्रोही रहे हैं, इन्होंने अपने बयानों में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

36. मृतक पालाराम को रैफर किए जाने के पश्चात् इलाज हेतु हायर सेंटर में ले जाना चाहिए था, किन्तु उसके परिजन उसके उसे इलाज हेतु हायर सेंटर लेकर नहीं गए, जिसे चिकित्सक ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार किया है कि यदि मृतक को इलाज हेतु हायर सेंटर लेकर जाते तो वह बच जाता। इसी प्रकार मृतक पालाराम का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया, यदि उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता तो पत्रावली पर उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाता, किन्तु उसके परिजनों ने उसका उसी दिन दाह संस्कार कर दिया, जो कि संदेहास्पद स्थिति प्रकट करता है। इसी प्रकार अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रकरण की मुख्य गवाह कमला जो आत्महत्या के तुरंत पूर्व की घटना के कारणों की साक्ष्य की महत्वपूर्ण गवाह थी, के बयान लेखबद्ध नहीं किए गए एवम् ना ही उसे साक्ष्य सूची में रखा गया है और ना ही कमला द्वारा मृतक पालाराम को कॉल कर अपने पति कृष्ण व मंजु के अवैध संबंधों का उलाहना दिया, इसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

37. उपर्युक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण से अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु कि **अभियुक्तगण मंजु व कृष्ण कुमार के दिनांक 16–02–2023 से पूर्व अवैध संबंध रहे एवम् मृतक पालाराम द्वारा अपनी पत्नी मंजु को समझाया गया, किन्तु उक्त अभियुक्तगण ने अपने अवैध संबंध स्थापित रखे और मृतक पालाराम के साथ लड़ाई–झगड़ा कर सामान्य आशय के अनुसरण में पालाराम को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया,**

जिसके परिणामस्वरूप पालाराम ने स्प्रे (कीटनाशक) पीकर आत्महत्या कर ली हो, को अभियुक्तगण मंजु व कृष्ण कुमार के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाना उचित प्रकट होता है।

–: आदेश :–

38. अतः अभियुक्तगण मंजु पत्नी पालाराम निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ व कृष्ण कुमार पुत्र आदराम निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ को धारा 306 सपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत का निस्तारण बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार संबंधित थानाधिकारी द्वारा किया जाए।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

39. निर्णय आज दिनांक **02–06–2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकन्या सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0–2,
नोहर, जिला–हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.23 06:30:15 IST